

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता }

1. जिला- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थाना:- सीपीएस जयपुर वर्ष 2022  
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..... 44/22 ..... दिनांक 15/02/2022
2. (1) अधिनियम - भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये - 7,7ए.....  
(2) अधिनियम - भा0द0स0 धाराये :- 120 बी .....  
(3) अधिनियम ..... धाराये :- .....  
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :- .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 306 ..... समय 1:50 pm  
(ब) अपराध के घटने का दिन :- 14.02.2022 ..... सोमवार .....  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 15.11.2021 समय 12.30 पी.एम.....
4. सूचना की किस्म :- लिखित
5. घटनारथल:- सरकारी आवास संख्या 03 बीकमपुर जिला बीकानेर  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी - ब्यूरो चौकी से उत्तर दिशा, करीबन 190 किलोमीटर  
(ब) पता :- कार्यालय कृषि अधिकारी सि0क्षे0 वि0 इगानप बीकमपुर परिसर स्थित  
सरकारी आवास संख्या 03 बीकमपुर।  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :-
6. परिवादी / सूचनाकर्ता  
(अ) नाम :- श्री विकास कुमार  
(ब) पिता / पति का नाम :- श्री ओमप्रकाश  
(स) जन्म तिथि / वर्ष :- 23 वर्ष  
(द) राष्ट्रीयता :- भारतीय  
(य) पाटपोर्ट संख्या :- ..... जारी होने की तिथी.....  
(र) व्यवसाय :- व्यापार  
(ल) पता :- निवासी गाँव 9 बी0जी0डी0 (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री  
गंगानगर हाल पदम कॉलोनी नाचना जिला जैसलमेर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा विशिष्टियों सहित :-  
(1) श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री सोहनपाल उम्र 56 वर्ष जाति जाटव, निवासी  
गली नं.09, रामपुरा थाना नया शहर, बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय  
कृषि अधिकारी, सि.क्षे.वि. ई.गा.न.प. बीकमपुर जिला बीकानेर।  
(2) श्री प्रेमसिंह कृषि अधिकारी कार्यालय सिंचित क्षेत्र विभाग इन्दिरा गांधी नहर  
परियोजना. बीकमपुर जिला बीकानेर।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण - कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां :-
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य- रिश्वती राशि 20,000 रु.
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

सेवामे,

श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस, महोदय  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर

विषय:- रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रेप करवाने बाबत

महोदय निवेदन है कि मैं विकास कुमार पुत्र ओमप्रकाश उम्र 23 वर्ष जाति सुथार गाँव 9 बी0जी0डी0 (बी) तहसील रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर हाल पदम कॉलोनी नाचना जिला जैसलमेर कि अर्ज इस प्रकार है कि मैं मेरी दुकान " बालाजी किसान सेवा केन्द्र " के नाम से गाँव नाचना में खाद, बीज, कीटनाशक भण्डारण की दुकान के लाईसेन्स के लिए जब मैंने कृषि विभाग बीकमपुर में श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से सम्पर्क किया तो उन्होंने मेरे उक्त दुकान के लिए मेरे से 30,000 रूपये कि रिश्वत राशी माँगी है, मैं उक्त कर्मचारी को रिश्वत राशी नहीं देकर उसे रंगे हाथों ट्रेप करवाना चाहता हूँ मेरे श्री रविन्द्र कुमार से कोई लेनदेन बकाया नहीं है। तथा न ही कोई रंजीश है।

दिनांक 15.11.2021

प्रार्थी

एसडी

नाम- विकास कुमार

पता:-गाँव9बी0जी0डी0(बी) तह0 रायसिंहनगर

जिला- श्री गंगानगर

हाल पता, पदम कॉलोनी नाचना (जैसलमेर)

मो0नं0 7232877084, 6376993890

### कार्यवाही पुलिस

दिनांक 15.11.2021 समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री विकास कुमार पुत्र ओमप्रकाश उम्र 23 साल जाति सुथार निवासी गाँव 9 बी0जी0डी0 (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर हाल पदम कॉलोनी नाचना जिला जैसलमेर ने ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में मन अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जैसलमेर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैं मेरी दुकान बालाजी किसान सेवा केन्द्र के नाम से गाँव नाचना में है खाद, बीज, कीटनाशक भण्डारण की दुकान के लाईसेन्स के लिए जब मैंने कृषि विभाग बीकमपुर में श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से सम्पर्क किया

तो उन्होंने मेरे उक्त दुकान के लिए मेरे से 30,000 रुपये कि रिश्वत राशि माँगी है। मैं उक्त कर्मचारी को रिश्वत राशि नहीं देकर उसे रंगे हाथों ट्रेप करवाना चाहता हूँ। मेरे श्री रविन्द्र कुमार से कोई लेन देन बकाया नहीं है तथा न ही कोई रंजीश है।" पुछताछ पर परिवादी श्री विकास कुमार ने यह प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिपि में लिखकर इस पर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए स्वयं के आधार कार्ड की स्व प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की तथा बताया कि मेरी कृषि विभाग बिकमपुर में कार्यरत कर्मचारी श्री रविन्द्र कुमार से कोई पुरानी रंजीश व दुश्मनी नहीं है, ना ही मैंने इनसे कोई उधार लेन-देन कर रखा है। उपरोक्त हालात से एक लोक सेवक आरोपी द्वारा परिवादी के जायज काम के लिए अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 15.11.2021 को गोपनीय रूप से रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय हाजा के श्री शिवप्रताप कानि0 नं0 541 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाया गया व ब्यूरो कार्यालय के मालखाना इंचार्ज श्री जेठाराम हैड कानि 53 से मालखाना में से डिजीटल रिकॉर्डर निकलवाया गया। हाजिर परिवादी श्री विकास कुमार को इस डिजीटल रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की प्रक्रिया समझाकर डिजीटल रिकॉर्डर परिवादी को दिया गया। परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई कि वे आरोपी श्री रविन्द्र कुमार से अपने खाद, बीज, कीटनाशक भण्डारण की दुकान के लाईसेन्स के संबंध में वार्तालाप कर उक्त वार्तालाप को इस डिजीटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर परिवादी श्री विकास कुमार को श्री शिवप्रताप कानि0 के साथ मौजा बीकमपुर की तरफ रवाना किया गया।

दिनांक 16.11.2021 समय 01.31 पी.एम पर श्री कानि0 श्री शिवप्रताप नं0 541 ने जरिये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि परिवादी श्री विकास कुमार ने रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवा कर डिजिटल रिकॉर्डर लाकर मुझे सुपुर्द किया और बताया कि मेरी श्री रविन्द्र कुमार से मेरे काम के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है और उन्होंने मेरे से 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की है, जिसमे से 10,000 रु. सत्यापन के दौरान ले लिये तथा शेष 20,000 रु. लेकर दिनांक 23-24 को बुलाया है। उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। जिस पर कानि0 श्री शिवप्रताप के मोबाईल से ही परिवादी श्री विकास कुमार से वार्ता करने पर उसने भी उक्त कथन की ताईद करते हुए बताया कि आरोपी आज छुट्टी जा रहे है तथा वापस दिनांक 23-24.11.2021 को आयेगें। जिस पर कानि0 को हिदायत दी गई कि आप डिजिटल रिकॉर्डर को बिना सुने ही सुरक्षित रूप से लेकर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आवें एवं परिवादी को दिनांक 24.11.2021 तक आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000 रुपये की व्यवस्था कर कस्बा नाचना में प्रातः 9.30 एएम पर मिलने हेतु पाबन्द कर वही पर रुकसत करे। ताबाद कानि श्री शिवप्रताप नं0 541 ने मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर डिजीटल रिकॉर्डर सुपुर्द कर हालात अर्ज किये कि मैं व परिवादी श्री विकास कुमार कल दिनांक 15.11.2021 को बीकमपुर पहुँचे, रात्री का समय हो जाने के कारण मैंने डिजिटल रिकॉर्डर लेकर अपने पास रखते हुए मुकीम बीकमपुर ही रहे।